

F-07-08 F-07-11

वर्ग अनुमोदन सं. 1550 का संशाधन सहित नवीकरण/

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,

BENGALURU - 560 037.

Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1598

विषय/Sub: डीफ्यूलिंग वाल्व, पार्ट सं. ए1के-आई5-2120-000-001 और ए1के-आई5-2120-000-002 Defuelling Valve, Part No. A1K-I5-2120-000-001 & A1K-I5-2120-000-002

यह घोषित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बेंगलूरु – 560 017 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रैनिंग सेंटर (सीटीटीसी), उड़ीसा – 751 024 द्वारा उत्पादित "डीफ्यूलिंग वाल्व " पार्ट संख्याएं. ए1के-आई5-2120-000-001 और ए1के-आई5-2120-000-002 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1598, दिनांक 17 दिसंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1598 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1598/1ए, दिनांक 28 जून 2013 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध है।

This is to state that the "Defuelling Valve" bearing the Part Nos A1K-I5-2120-000-001 & A1K-I5-2120-000-002 designed, developed by Aeronautical Development Agency, Bengaluru – 560 017 and manufactured by M/s. Central Tool Room & Training Centre (CTTC), Orissa – 751 024 was issued with Type Approval No. 1598 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1598, dated: 17th Dec 2010 and Addendum was issued vide Ref. No. CEMILAC/5070/ TA-1598/1A, dated: 28th June 2013 is valid upto 31st Dec 2015.

उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1598 और उसके परिशिष्ट ' ए' में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा / The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1598 and its Appendix 'A'.

Wherever/ For	Read as
1. Part No. : A1K-I5-2120-000-001 & A1K-I5-2120-000-002	1. Part No. : A1K-I5-2120-000-002
2. Assembly Drawing No.: A1K-I5-2120-000-001,Issue: Nil, Dated.: 05 th Dec 2010	2. Assembly Drawing No.: A1K-I5-2120-000-002, Issue:01, Dated: 08 th Sept 2015

 무평/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 1598 F-07-11 F-07-08

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(वायुयान), सेमिलैक, मारतहल्ली पी.ओ, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01^{st} January 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31^{st} December 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1598/1Amd/1R

दिनांक/Date : 18 November 2015

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी जयपाल / P.JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)